







तारीख हुक्म	राजस्व अपील 01/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/6/2017	वजुलाय उपो आदिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ। लोकमत: समरठा पत्र जारी हो। पचावली दिनांक 13/7/2017 को पेश हो।  <div style="text-align: right;">             पवि० बिजा कलेक्टर, पाली         </div>	
13/7/2017	वजुलाय उपो पूर्व आदेशानुसार पालना लेकर पचावली दिनांक 27/7/2017 को पेश हो।  <div style="text-align: right;">             अति. जिला कलेक्टर, पाली         </div>	
27/7/17	वजुलाय उपो पूर्व आदेशानुसार पालना लेकर पचावली दि. 28/8/2017 को पेश हो।  <div style="text-align: right;">             अति. जिला कलेक्टर, पाली         </div>	
28/8/17	वजुलाय उपो पूर्व आदेशानुसार पालना लेकर पचावली दि. 29/9/2017 को पेश हो।  <div style="text-align: right;">             पवि० बिजा कलेक्टर, पाली         </div>	
29/9/17	वजुलाय उपो पचावली का अवलोकन किया गया। उस्तगत अपील उपरवर्त आदिवासी मा.अ. के आदेश (मां.अ.) राजस्व/11/325 दि. 29/6/2011 के विरुद्ध पेश की गई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (क) के अनुसार यह क्षेत्राधिकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रदत्त होने से उस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं होने से उक्त न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलकर्ता को लौटाई जाते।  <div style="text-align: right;">             अति. जिला कलेक्टर, पाली         </div>	<div style="text-align: right;">           अति. जिला कलेक्टर, पाली            राज. मा. अ. के मा. अ.            जज कि. जे.            30/10/17         </div>

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की अपील में जारी हुए</p>
	<p>धारा 14 की प्रमाणित प्रतिलिपी रिकॉर्ड पर रखी अपिल/लाह पालना धारा 14 के अंतर्गत में शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>अति. जिल्स कलेक्टर, पाली</b> </p>	